कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ–226001

संख्या–263 / सी0ई0ओ0–2–4 / 2–2021 लखनऊ दिनांकः 22 जनवरी, 2022

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
फिरोजाबाद, सहारनपुर तथा सम्भल।

विषयः **विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों में संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं0–64 / भा0नि0आ0 / पत्र / टेर0 / उ0अ0– III–उ0प्र0 / 2021(सम्भाजन), दिनांक 21 जनवरी, 2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– आयोग ने पार्श्वांकित पत्रों के माध्यम से आप द्वारा भेजे गये मतदेय स्थलों के संशोधन प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित निर्देश दिये हैं :–

क0सं0	जनपद का नाम	पत्र सं0 एवं दिनांक
1	फिरोजाबाद	1780 / डी0ई0ओ–29 दि0–06 / 12 / 21
2	सहारनपुर	148 / 29– दि0–13 / 01 / 22
3	सम्भल	100 / मतदेय– दि0–14 / 01 / 22

1. कृपया अनुमोदित मतदेय स्थलों में संशोधनों की सूची को प्रकाशित करने से पूर्व एक बार पुनः जॉच कर लें।
2. कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि मतदेय स्थलों की नई सूची के अनुसार ही निर्वाचक नामावली की कन्ट्रोल टेबल को अद्यतन किया गया है।
3. मतदेय स्थलों की सूची को जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित कराया जाय।
4. संशोधित मतदेय स्थलों की जानकारी सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी जाय और निर्वाचन क्षेत्रों में इसका व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाय।
5. वोटर इनफार्मेशन स्लिप में समुचित स्थान पर परिवर्तित मतदेय स्थलों की सूचना का उल्लेख करना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय तथा भारत निर्वाचन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

22/1/22

(चन्द्रशेखर)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या–263(1) / सी0ई0ओ0–2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली को पत्र सं0–64 / भा0नि0आ0 / पत्र / टेर0 / उ0अ0– III–उ0प्र0 / 2021(सम्भाजन), दिनांक 21 जनवरी, 2022 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2– कम्प्यूटर सेल, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मतदेय स्थलों की सूची कन्ट्रोल टेबल डाटा बेस में अद्यावधिक करने हेतु।

22/1/22

(चन्द्रशेखर)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

C:\USERS\SO2\ONEDRIVE\VISHAL\VISHAL\RATIONALISATION (AUTOSAVED).DOCX

कैम्प बैग / ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Tel: ,23052141 ,23052205-011Web: www.eci.gov.in

सं०: 64/भा०नि०आ०/पत्र/टेर०/उ०अ०-III-उ०प्र०/2021(संभाजन) दिनांक:21 जनवरी, 2022

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषय: विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों में संशोधन के सम्बन्ध में – उत्तर प्रदेश राज्य |

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं० 141/सीईओ-2-4/2-2021, दिनांक 15.01.2022 के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के अंतर्गत, जनपद फिरोजाबाद के 14, जनपद सहारनपुर के 01 तथा जनपद सम्भल के 03 मतदेय स्थलों के संशोधन के प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है | कृपया विधिक प्रावधानों के तहत उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें |

2. कृपया अनुमोदित मतदेय स्थलों में संशोधनों की सूची को प्रकाशित करने के पूर्व एक बार पुनः जाँच कर लें |

3. कृपया यह सुनिश्चित करें कि मतदेय स्थलों की नयी सूची के अनुसार ही निर्वाचक नामावली की कंट्रोल टेबल को अद्यतन किया गया है । कृपया उक्त संशोधनों को आपकी वेबसाइट एवं संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

4. यह भी सुनिश्चित करें कि नए मतदान केन्द्रों की जानकारी सभी मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों को दी जाए और सम्बद्ध मतदेय स्थल क्षेत्र में इसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए |

5. वोटर इनफार्मेशन स्लिप में समुचित स्थान पर परिवर्तित मतदेय स्थलों की सूचना का उल्लेख करना सुनिश्चित करें।

6. कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत कराने की कृपा करें |

भवदीय,

(प्रफुल्ल अवस्थी)
अवर सचिव